



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 25 राँची, बुधवार

19 श्रावण, 1944 (श०)

10 अगस्त, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ	भाग-4-झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क-स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5-झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2-झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9- विज्ञापन ---
भाग 3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

6 जुलाई, 2022

संख्या-1/विविध-810/2022 का०-4040--श्री अक्षय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:2012), संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-21.06.2022 से 14.07.2022 तक कुल 24 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

5 जुलाई, 2022

संख्या-1/विविध-876/2007 का०-3966--श्री राजेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. (झा:2003), सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 11.07.2022 से 15.07.2022 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, दिनांक 09.07.2022, 10.07.2022, 16.07.2022 एवं 17.07.2022 को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

17 जून, 2022

संख्या-15/सा०अव०-03-02/2022 का.-3711--भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति (संख्या-ECI/PN/52/2022 दिनांक-25.05.2022) एवं मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, राँची के पत्रांक-1005 दिनांक 25.05.2022 के आलोक में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र संख्या-66, मान्डर (अ०ज०जा०) में विधानसभा उप चुनाव, 2022 के मतदान के लिए मान्डर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के सभी कार्यालयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक बैंकों में मतदान की निर्धारित तिथि- 23.06.2022 (गुरुवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,

सरकार के अवर सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

17 जून, 2022

संख्या-15/सा०अव०-03-02/2022 का.- 3710--झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र संख्या-66, मान्डर (अ०ज०जा०) में विधान सभा उप चुनाव, 2022 को मतदान की निर्धारित तिथि 23.06.2022 (गुरुवार) को संबंधित विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135(ख) के तहत मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश की मंजूरी के संबंध में निम्नांकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:-

1. किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य के विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
2. धारा 135(ख) की उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामानतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर ना किये जाने की दशा में दी गयी होती।
3. यदि कोई नियोजक धारा 135(ख) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है।

सभी संबंधित प्राधिकारों को निदेश दिया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,
सरकार के अवर सचिव।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MD AKRAM, MD ARBAB (अन्य नाम MD. ARBAB) का पिता शपथ पत्र सं० 532, दिनांक 2 अगस्त, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा MD ARBAB (जन्म तिथि 27 अगस्त, 2004) के नाम से जाना जायेगा ।

MD ARBAB एवं MD. ARBAB दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT OF - BHITHA, KANKE ROAD,
NEAR NEW HOTLIPS,
P.S.- KANKE,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

RESIDENT OF - NEAR SIMARTOLI,
KANKE, C.I.P. CAMPUS,
QR. NO. -121, KANKE,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SREEJA VENUGOPAL अन्य नाम S SREEJA VENUGOPAL पति SRI KUNNUM PURATH VENUGOPAL, शपथ पत्र सं० 80, दिनांक 10 फरवरी, 2022 के अनुसार SREEJA VENUGOPAL के नाम से जानी जाऊँगी ।

SREEJA VENUGOPAL एवं S SREEJA VENUGOPAL दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - QR. NO.- 3044,
SECTOR- 4/D,
P.O.& P.S. - SECTOR- 4
DIST.- BOKARO,
PIN - 827004
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KAPIL YADAV, KUMAR ARUN (अन्य नाम BISHURANJAN KUMAR) का पिता शपथ पत्र सं० 14647, दिनांक 6 जुलाई, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा KUMAR ARUN (जन्म तिथि 9 सितम्बर, 2005) के नाम से जाना जायेगा ।

KUMAR ARUN एवं BISHURANJAN KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL- TARWAGADA,
GRAM PANCHAYAT- TARWAGADA,
P.O.- SAHI,
P.S.- HUNTERGANJ,
DIST- CHATRA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SHEM DHANWAR अन्य नाम GHURA DHANWAR पिता JITA DHANWAR, शपथ पत्र सं० 1448, दिनांक 30 मार्च 2022 के अनुसार SHEM DHANWAR के नाम से जाना जाऊँगा ।

SHEM DHANWAR एवं GHURA DHANWAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILLAGE- JAGU,
P.O. - RAISHIMLA,
P.S. - TORPA,
DIST - KHUNTI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं **MANJRI DEVI**, पति **Late BINOD BARAIK, SHIVAM BARAIK** (अन्य नाम **SHUBHAM BARAIK**) कि माता शपथ पत्र सं० 1842, दिनांक 27 अप्रैल, 2022 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र **SHIVAM BARAIK** (जन्म तिथि -7 जुलाई, 2014) के नाम से जाना जायेगा ।

SHIVAM BARAIK एवं **SHUBHAM BARAIK** दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

**RESIDENT OF - VILLAGE - KOYNARA,
P.O.- DANEKERA,
P.S.- LAPUNG,
DIST- RANCHI,
PIN- 835234
JHARKHAND**

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं **SEKH ABASH** अन्य नाम **SEKH MAKBUL** पिता **SEKH JAMAHIR**, शपथ पत्र सं० 1047, दिनांक 8 अगस्त 2022 के अनुसार **SEKH ABASH** के नाम से जाना जाऊँगा ।

SEKH ABASH एवं **SEKH MAKBUL** दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

**RESIDENT OF - VILLAGE- KUTAM BISERIYA,
P.O. - CHATAMURI,
P.S. - SILLI,
DIST - RANCHI,
PIN- 835001
JHARKHAND**

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं FARIDA KHAN अन्य नाम FARIDA KHANAM पिता Late ATAUR RAHMAN KHAN, पति MD. MOHIUDDIN KHAN, शपथ पत्र सं० 511, दिनांक 19 जुलाई, 2022 के अनुसार FARIDA KHAN के नाम से जानी जाऊँगी।

FARIDA KHAN एवं FARIDA KHANAM दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FRIENDS COLONY,
BHITHA, KANKE ROAD,
P.O. - RANCHI UNIVERSITY,
P.S. - GONDA,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SHWETA KUMARI अन्य नाम MINA KUMARI पिता SRI INDRADEO DAS, शपथ पत्र सं० 02, दिनांक 12 जुलाई, 2022 के अनुसार SHWETA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।

SHWETA KUMARI एवं MINA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILLAGE- LAKHEKURA,
P.O. - SANKH,
P.S. - GANWA,
DIST.- GIRIDIH,
PIN - 815313
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SHABINA PERWEEN अन्य नाम SHABINA PERVEEN पिता MAHMOOD ALI, शपथ पत्र सं० 05, दिनांक 21 जून, 2022 के अनुसार SHABINA PERWEEN के नाम से जानी जाऊँगी।

SHABINA PERWEEN एवं SHABINA PERVEEN दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 96/B, MUSLIM BASTI GOLMURI,
P.O.& P.S. - GOLMURI,
TOWN - JAMSHEDPUR,
DIST.- EAST SINGHBHUM,
PIN - 831003
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BELUGHAT ROY अन्य नाम BALIKA ROY पति Late AGHAN ROY, शपथ पत्र सं० 3667, दिनांक 24 मार्च, 2022 के अनुसार BELUGHAT ROY के नाम से जानी जाऊँगी।

BELUGHAT ROY एवं BALIKA ROY दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- MADHURAI DIH,
P.O. - BENAGORIA,
P.S. - NIRSA,
DIST.- DHANBAD,
PIN - 828205
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं LAXMI KANT MAHTO, NALINI KANT MAHTO (अन्य नाम BRAHMANAND MAHTO) का पिता शपथ पत्र सं० 10, दिनांक 17 जून, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा NALINI KANT MAHTO (जन्म तिथि 2 जून, 2008) के नाम से जाना जायेगा ।

NALINI KANT MAHTO एवं BRAHMANAND MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILLAGE- KONKADIH,
P.O.- RUGRI,
P.S.- TAMAR,
DIST- RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MIRA KUMARI अन्य नाम ANNYA SINGH पति AJAY KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 212, दिनांक 9 मार्च, 2022 के अनुसार MIRA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

MIRA KUMARI एवं ANNYA SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILLAGE - NEWARI VIKASH,
P.O.- NEWARI VIKASH,
P.S.- SADAR,
DIST.- RANCHI,
PIN- 835217
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KAMOD KUMAR MISHRA अन्य नाम KAMOD MISHRA पिता BHARAT KANT MISHRA, शपथ पत्र सं० 1919, दिनांक 15 जुलाई 2022 के अनुसार KAMOD KUMAR MISHRA के नाम से जाना जाऊँगा ।

KAMOD KUMAR MISHRA एवं KAMOD MISHRA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - QR. NO.- 1209,
STREET - 19,
SECTOR - 8/B,
P.O. - SECTOR- 9,
P.S. - HARLA,
DIST - BOKARO,
PIN - 827009
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ABHISHEK VISHAL अन्य नाम ABHISHEK पिता RAKESH KUMAR CHOUDHARY, शपथ पत्र सं० 440, दिनांक 6 मई 2022 के अनुसार ABHISHEK VISHAL के नाम से जाना जाऊँगा ।

ABHISHEK VISHAL एवं ABHISHEK दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - BABANGORA SARJAMDA GOLMURI CUM JUGSALAI,
EAST SINGHBHUM,
PIN - 831002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ARUN RAJ TIRKEY अन्य नाम LILY DONALD TIRKEY पिता LUES PATRAS TIRKEY, शपथ पत्र सं० 200, दिनांक 5 जुलाई 2022 के अनुसार ARUN RAJ TIRKEY के नाम से जाना जाऊँगा ।

ARUN RAJ TIRKEY एवं LILY DONALD TIRKEY दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL.- DANDAI HEHAL,
P.O.& P.S. - RATU,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PRATAP KUMAR अन्य नाम PRATAP SINGH पिता ANIL SINGH, शपथ पत्र सं० 5880, दिनांक 18 जुलाई 2022 के अनुसार PRATAP KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा ।

PRATAP KUMAR एवं PRATAP SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - TULSI NIWAS,
VILLAGE - MORANGI,
P.O. - MORANGI,
P.S. - MUFFASIL,
DIST - HAZARIBAG,
JHARKHAND
